उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-6

संख्या-7/2015/ए0ई0-854/12-6-15-61एई/2003

लखनऊ, दिनांक 27 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री शाकिर अली सिद्दीकी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कृषि सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश सचिवालय, जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-03-2015 को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुये हैं, को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि को देय 300 (तीन सौ) दिन के उपार्जित अवकाश के समतुल्य धनराशि के नगदीकरण की स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-200/88, दिनांक 01-07-1999 की व्यवस्थानुसार एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62 के लेखाशीर्षक **"2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (आयोजनेत्तर)-01-सिविल-115-छुट्टी नगदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश का नगदीकरण-02 दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नगदीकरण-33 पेंशन/आनुतोषिक अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ"** के नामें डाला जायेगा।

(दिनेश प्रताप सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-7/2015/ए0ई0-854(1)/12-6-2015-तद्दिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- लेखा अनुभाग, कृषि सचिव शाखा (दो प्रतियों में)

4- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-5(अधिष्ठान)।

5 श्री शाकिर अली सिद्दीकी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कृषि सचिव शाखा।

6- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)

अनु सचिव।

http://bhasanadesh.up.nic.in